

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255862
SG-DL-E-29072024-255862असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2024/श्रावण 4, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 5]	DELHI, FRDAY, JULY 26, 2024/SRAVANA 4, 1946	[N. C. T. D. No. 118

भाग III
PART IIIराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जुलाई 2024

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति) विनियम, 2024

सं. F.17 (293)/ Engg. /DERC/ 2021-22/7147/745.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2) (za) के साथ पठित धारा 57 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: -

अध्याय - I: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति) विनियम, 2024 है।
- (2) ये विनियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।

- (3) ये विनियम सभी उत्पादन कंपनियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उनके संबंधित लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में पारेषण और वितरण लाइसेंसधारकों पर लागू होंगे।
- (4) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: -

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो: -

- (1) 'प्राधिकरण' से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अंतर्गत गठित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) है;
- (2) 'आयोग' से अभिप्राय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (3) 'क्षतिपूर्ति' से अभिप्राय इन विनियमों के अध्याय III और IV में दिए गए अनुसार है;
- (4) 'संबंधित प्राधिकारी' से अभिप्राय उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के अधिकारी से है जो इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नामित महाप्रबंधक के स्तर से नीचे का न हो;
- (5) 'आश्रितों' से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार के हकदार हैं जिसके द्वारा मृतक नियंत्रित था;
- (6) 'विद्युत प्रणाली' से अभिप्राय किसी उत्पादन या लाइसेंसधारी के नियंत्रणाधीन कोई प्रणाली अभिप्रेत है और जिसके पास एक या अधिक हों--
 - क. उत्पादन स्टेशन; अथवा
 - ख. पारेषण लाइनें; या
 - ग. विद्युत लाइनें और उप-केंद्र;
- (7) 'विद्युत दुर्घटना' से अभिप्राय लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी की विद्युत प्रणाली में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से हुई कोई दुर्घटना है जिसके फलस्वरूप मानव, पशु या पक्षी का जीवनह्रास/घायल हो गया/गई हो;
- (8) 'चोट' से अभिप्राय किसी विद्युत दुर्घटना से किसी व्यक्ति, पशु या पक्षी को हुई कोई शारीरिक क्षति है;
- (9) 'लाइसेंसधारी' से अभिप्राय वह व्यक्ति है जिसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है, जिसमें उक्त प्रावधान के तहत समझा गया लाइसेंसधारी भी शामिल है;
- (10) 'पोल्ट्री' से अभिप्राय है मांस, अंडे या पंख जैसे उत्पादों को लेने के उद्देश्य से मनुष्यों द्वारा पाले गए पालतू पक्षी;
- (11) 'दिव्यांगजन' में संबंधित क्षेत्र के सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं, होने वाले विद्युत दुर्घटनाओं से घायल होने वाले व्यक्ति शामिल हैं;
- (12) 'पीड़ित' से अभिप्राय विद्युत दुर्घटना के परिणामस्वरूप मानव या पशु या पक्षी का जीवन ह्रास या व्यक्ति (व्यक्तियों) या पशु या पक्षियों को चोट लगने से प्रभावित व्यक्ति है;

3. व्याख्याएं: -

- (1) इन विनियमों की व्याख्या और कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों से असंगत न हो;
- (2) जब तक संदर्भ से अन्यत्र अपेक्षित न हो, ऐसे शब्द या भाव जो इन विनियमों में आते हैं और यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन विद्युत अधिनियम, 2003 या 'दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017' में परिभाषित हैं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय), 2023 का वही अभिप्राय होगा जो उसमें बताया गया है और उसके अभाव में, वही अभिप्राय होगा जो आमतौर पर विद्युत आपूर्ति उद्योग में समझा जाता है।

अध्याय-II: प्रदर्शन के मानक**4. सुरक्षा मानक: -**

- (1) उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 और धारा 53 (a) और (b), धारा 73 (c) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 (2) (b) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियम किसी भी उपयुक्त युक्ति का कड़ाई से पालन करेंगे।
- (2) उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों के कार्य इस प्रकार स्थापित, निर्मित, रखरखाव या संचालित या प्रयोग में लाए जाएंगे कि विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण से उत्पन्न होने वाले विद्युत के झटके के खतरे से जनता (उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार में लगे व्यक्तियों सहित), पशुओं और पक्षियों को बचाया जा सके।
- (3) उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारी सभी अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करेंगे और विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति में प्रयुक्त किसी भी उपकरण या उपकरण की खतरनाक स्थिति में या दोषपूर्ण प्रयोग के कारण व्यक्तियों, पशुओं और पक्षियों को संपर्क, निकटता, चोट से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

5. क्षतिपूर्ति का दायित्व: -

- (1) उपरोक्त विनियम 4 में निर्दिष्ट प्रदर्शन के मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाली उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारी किसी विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप किसी व्यक्ति(यों) या पशु या पक्षी के जीवन ह्रास या चोट के लिए इन विनियमों के विनियम 6 और 10 में निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) यदि कोई विद्युत दुर्घटना होती है, जिसके फलस्वरूप मानव जीवन या पशु या पक्षी या व्यक्ति को चोट, जब तक कि विद्युत दुर्घटना मुख्य रूप से लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनियों की विफलता के कारण नहीं थी, जैसी भी स्थिति हो, प्रदर्शन के मानकों को पूरा करने के लिए, लेकिन इसका प्रत्यक्ष या अन्तमानित परिणाम था, किसी अन्य बाहरी कारण या कारण से हस्तक्षेप हानि होती है, तो लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, जैसी भी स्थिति हो, लाइसेंसधारी और उत्पादन कंपनियों इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।
- (3) एक बार निर्धारित होने पर, लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो।
- (4) पीडित/लाभार्थी को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, उपयोगिताओं की समग्र राजस्व आवश्यकता में शामिल/वसूली योग्य नहीं होगी।
- (5) पीडित या उसके नियोक्ता/मालिक की ओर से गैर-जिम्मेदाराना कृत्य से होने वाली चोट या जीवन ह्रास के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (6) यदि मानव जीवन का ह्रास आत्महत्या या हत्या के कारण होता है या मानव जीवन का ह्रास आत्महत्या या हत्या के प्रयास के कारण होता है, तो लाइसेंसधारी और उत्पादन कंपनियों, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के तहत इसके लिए क्षतिपूर्ति के किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।

अध्याय - III: मानव चोट/जीवन ह्रास की घटना के लिए क्षतिपूर्ति**6. क्षतिपूर्ति की मात्रा: -**

- (1) विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मानव जीवन के ह्रास के लिए देय मुआवजा 7,50,000/- प्रति व्यक्ति होगा।
- (2) 60% से अधिक विकलांगता के मामले में प्रति व्यक्ति 5,00,000/- रुपये और 40% से 60% के बीच विकलांगता के मामले में प्रति व्यक्ति 1,00,000/- रुपये की राशि विद्युत दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जाएगी। क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित क्षेत्र के सिविल सर्जन द्वारा जारी विकलांगता के प्रतिशत के संबंध में प्रमाण पत्र पर देय होगी।
- (3) इसके अतिरिक्त, एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता वाले प्रति व्यक्ति अधिकतम रु. 25,000/-, एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले प्रति व्यक्ति को

रु.10,000/- रुपये का भुगतान सीजीएचएस के अंतर्गत अनुमोदित अस्पताल/ सरकारी अस्पताल, संबंधित अस्पतालों द्वारा विधिवत प्रमाणित बिलों की प्रस्तुति के अधीन अस्पताल में भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा।

7. अन्य अधिकार और अप्रभावित उपाय: -

उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति का दावा करने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार, उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत देय क्षतिपूर्ति की वसूली के ऐसे किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

8. अनुबंध/योजनाएं/बीमा/अप्रभावित: -

मृत्यु या व्यक्तिगत चोट के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान या बीमा की किसी भी पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि के भुगतान के प्रावधान वाले किसी भी अनुबंध या योजना के तहत क्षतिपूर्ति का दावा करने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार इन विनियमों के तहत किए गए किसी भी राशि के भुगतान से अप्रभावित रहेगा।

9. क्षतिपूर्ति की मात्रा का आवधिक पुनरीक्षण: -

यह आयोग, लाइसेंसधारियों, उत्पादन कंपनियों और राज्य सरकार के परामर्श से और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, किसी भी समय, एक विशेष आदेश द्वारा ऊपर निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति की सीमा को बढ़ा सकता है।

अध्याय - IV: पशु और पक्षियों के लिए क्षतिपूर्ति

10. क्षतिपूर्ति की मात्रा: -

(1) विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप पशु जीवन की हानि के लिए देय क्षतिपूर्ति निम्नलिखित दरों पर देय होगा: -

(a) दुधारू पशु-

(i) रु. 50,000/- प्रति भैंस/गाय/ऊंट/याक आदि।

(ii) रु. 5,000/- प्रति भेड़/बकरी/सुअर आदि।

(b) भारवाही पशु-

(i) रु. 25,000/- घोड़ा/बैल आदि।

(ii) रु. 15,000/- बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर आदि

यह सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि तक सीमित हो सकती है और रु. 3,00,000 दुधारू पशु या रु. 1,50,000 भारवाहक पशु, प्रति घर की सीमा के अधीन होगी, भले ही किसी घर में बड़ी संख्या में पशु खो गए हों। इस हानि को राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है।

(c) पोल्ट्री - पोल्ट्री @ 100/- प्रति पक्षी, सहायता की अधिकतम सीमा रु. 5,000/- प्रति लाभार्थी परिवार के अधीन।

11. अन्य अधिकार एवं अप्रभावित उपाय: -

उपरोक्त के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा करने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार उस समय लागू किसी भी अन्य कानून/अनुबंध/योजना/बीमा के तहत देय क्षतिपूर्ति की वसूली के ऐसे किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

12. क्षतिपूर्ति की मात्रा का आवधिक पुनरीक्षण: -

यह आयोग, लाइसेंसधारियों, उत्पादन कंपनियों और राज्य सरकार के परामर्श से और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, किसी भी समय, एक विशेष आदेश द्वारा ऊपर निर्दिष्ट क्षतिपूर्ति की सीमा को बढ़ा सकता है।

अध्याय-V: प्रक्रिया

13. विद्युत दुर्घटना की घटना रिपोर्ट: -

(1) दुर्घटना की स्वतंत्र सूचना के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी के कनिष्ठ विद्युत अभियंता या सहायक विद्युत अभियंता या कार्यकारी अभियंता या उनके समकक्ष अभियंता विद्युत निरीक्षक और संबंधित क्षेत्र और लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी के संबंधित प्राधिकारी को, यथास्थिति, एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से

उचित रसीद के अंतर्गत एक रिपोर्ट भेजेंगे। फॉर्म-ए (जैसाकि दुर्घटनाओं की सूचना के अंतर्गत निर्धारित (फॉर्म और नोटिस की सेवा का समय) नियम, 2005 में निर्धारित रूप में विद्युत दुर्घटना होने पर तुरंत सूचित करें ताकि विद्युत दुर्घटना के चौबीस घंटे के भीतर उक्त विद्युत निरीक्षक और संबंधित प्राधिकारी तक पहुंच सके।

(स्पष्टीकरण: संबंधित प्राधिकारी का अर्थ उत्पादन कंपनी के अधिकारी या लाइसेंसधारी से होगा जो इन विनियमों के प्रयोजन के लिए उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित महाप्रबंधक के स्तर से नीचे का न हो।)

उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, इस विनियम की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर, अपने संगठन के एक व्यक्ति को, जो महाप्रबंधक के स्तर से नीचे न हो, "संबंधित प्राधिकारी" के रूप में नामित करेगा। संबंधित प्राधिकारी को प्राधिकारी के नाम और अन्य प्रासंगिक विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि) के साथ आयोग को सूचित किया जाएगा और लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। "संबंधित प्राधिकारी" में किसी भी बाद के बदलाव के बारे में तुरंत आयोग को सूचित किया जाएगा और लाइसेंसधारी की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा।

- (2) विद्युत दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति मामले की सूचना उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारी तथा/अथवा विद्युत निरीक्षक को दे सकता है।
- (3) विद्युत निरीक्षक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, संबंधित प्राधिकारी का विवरण और इन विनियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र जैसे विवरण उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जैसी भी स्थिति हो।

14. जांच रिपोर्ट एवं अंतिम आदेश: -

- (1) विद्युत निरीक्षक, विद्युत दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, उक्त दुर्घटना की विस्तृत जांच करने के बाद, मुख्य विद्युत निरीक्षक के माध्यम से उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के संबंधित प्राधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी का संबंधित प्राधिकारी देय क्षतिपूर्ति की मात्रा और उसके हकदार व्यक्तियों, अर्थात् मृत व्यक्ति या घायल व्यक्ति या पशु, या अन्य पक्षी, जैसी भी स्थिति हो, के मालिक के आश्रितों को निर्धारित करने के लिए अंतिम आदेश पारित कर सकता है:

प्रावधान है कि लाइसेंसधारी का संबंधित प्राधिकारी, विभिन्न विकलांगताओं के मूल्यांकन और विकलांगता के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के लिए, ऐसे मामलों पर राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करेगा:

आगे प्रावधान है कि संबंधित प्राधिकारी विद्युत निरीक्षक से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

- (3) उपरोक्त के बावजूद, बिजली दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति या खूद को या किसी जानवर को लगी चोट से प्रभावित व्यक्ति के आश्रित, अनुबंध- II में निर्धारित फॉर्म में क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये विनियम व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे या दुर्घटना होने के 90 दिनों के भीतर उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के संबंधित प्राधिकारी को उसके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जो इन विनियमों के अनुसार, यदि देय हो, क्षतिपूर्ति को निर्धारित करेगा।
- (4) जांच रिपोर्ट के साथ ऐसी सभी विद्युत दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा रखा जाएगा और आयोग को सूचित किया जाएगा और उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

15. अंतिम आदेश की संसूचना: -

उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी विद्युत दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के किसी भी दावे पर अपने द्वारा पारित अंतिम आदेशों की एक प्रति दावेदारों या कानूनी प्रतिनिधि या हकदार व्यक्तियों को ऐसे किसी भी आदेश के पारित होने के सात दिनों के भीतर सूचित करेगा। आदेश की प्रति आयोग को भी सूचित की जाएगी।

16. क्षतिपूर्ति का भुगतान: -

क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान "संबंधित प्राधिकारी" के अंतिम आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी अंतिम आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है, तो उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी दावेदार/कानूनी प्रतिनिधि द्वारा अंतिम आदेश की तारीख से भुगतान प्राप्त होने तक 10% प्रति वर्ष की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।

17. विवाद समाधान प्रक्रिया -

यदि दावेदार या हकदार कानूनी प्रतिनिधि इन विनियमों के अनुसार दी गई क्षतिपूर्ति की मात्रा/संबंधित प्राधिकारी के आदेश/निर्देश या उसकी शिकायत का निवारण न होने से व्यथित है, तो दावेदार समय-समय पर संशोधित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम और लोकपाल की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2024 के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, जो सीजीआरएफ के आदेश से व्यथित है, समय-समय पर संशोधित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम और लोकपाल की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2024 के अनुसार शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

18. आयोग को सूचना: -

उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक अगले महीने की 15 तारीख तक आयोग को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं का विवरण और इन विनियमों के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

19. गैर-अनुपालन का परिणाम: -

इन विनियमों का गैर-अनुपालन और इन विनियमों की विषय-वस्तु से संबंधित कानूनों या उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 और 146 के परिप्रेक्ष्य में गैर-अनुपालन और उल्लंघन माना जाएगा।

अध्याय - VI: विविध**20. अवशिष्ट प्रावधान: -**

- (1) इन विनियमों के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून या नियम या विनियम या योजना या अनुबंध के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके निरादर में।
- (2) इन विनियमों में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए आयोग के अंतर्निहित अधिकार को सीमित या अन्यत्र प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- (3) इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और होने वाले कारणों से लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक या समीचीन समझता है।
- (4) इन विनियमों में कुछ भी, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी भी मामले से निपटने या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए उस विषय पर कोई विनियम तैयार नहीं किया गया है, और आयोग ऐसे मामलों, अधिकारों से निपट सकता है, और उस तरीके से कार्य करता है जैसा वह उचित समझता है।
- (5) विद्युत अधिनियम, 2003 और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन और विभिन्न मामलों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश और अभ्यास निर्देश जारी कर सकता है जिसपर उसे इन विनियमों द्वारा निर्दिष्ट या निर्देशित करने का अधिकार दिया गया है।

- (6) आयोग किसी भी समय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अधीन इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को जोड़, संशोधित, हटा या उसमें सुधार कर सकता है।
- (7) यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाला कुछ भी कर सकता है, जो उसे कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।
- (8) आयोग के पास लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों और प्रभावित पक्षों को नोटिस के साथ, किसी विशिष्ट मामले या ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन मामलों में इन विनियमों में से किसी भी खंड की आवश्यकताओं से छूट देने का अधिकार होगा जैसाकि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

राजेश दाँगी, सचिव

अनुलग्नक I

घटना रिपोर्ट

1. दुर्घटना की तिथि एवं समय:
2. दुर्घटना का स्थान:
3. उत्पादन कंपनी के प्रभारी अधिकारी या लाइसेंसधारी का पदनाम जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई:
4. दुर्घटना की प्रकृति एवं विवरण:
5. पीड़ितों का विवरण (जीवन की हानि/चोट):
 - (a) मानव
 - (b) पशु
6. दुर्घटना के विस्तृत कारण: (यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट का उपयोग करें और इसे इस फॉर्म के साथ संलग्न करें):
7. दुर्घटना देखने वाले व्यक्तियों का विवरण: (नाम, पदनाम, पता आदि):
8. की गई कार्यवाही:
9. कोई भी अन्य जानकारी:

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

फॉर्म A

विद्युत दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म

1. दुर्घटना की तिथि और समय।
2. दुर्घटना का स्थान।
(गांव/कस्बा, तहसील/थाना, जिला और राज्य)।
3. आपूर्ति की प्रणाली और वोल्टेज (क्या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) / उच्च वोल्टेज (एचवी) / कम वोल्टेज (एलवी) लाइन, उप-स्टेशन / उत्पादन स्टेशन / उपभोक्ता की स्थापना / सेवा लाइनें / अन्य स्थापना)।
4. उत्पादन कंपनी/लाइसेंसधारी के प्रभारी अधिकारी का पदनाम जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई।
5. मालिक/ विद्युत के उपयोगकर्ता का नाम जिसके परिसर में दुर्घटना हुई।
6. पीड़ित(तों) का विवरण:
 - (a) मानव

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पीड़ित का लिंग	पूरा डाक पता	अनुमानित आयु	घातक/ गैर-घातक
1	2	3	4	5	6	7

(b) पशु

क्र. सं.	पशु(ओं) का विवरण	संख्या	मालिक(कों) के नाम	मालिक(कों) के पते	घातक/ गैर-घातक
1	2	3	4	5	6

7. यदि पीड़ित आपूर्तिकर्ता का/के कर्मचारी है/हैं:-

(क) ऐसे व्यक्ति(यों) का पदनाम;

(ख) किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो;

(ग) क्या ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को नौकरी पर काम करने की अनुमति थी/दी गई थी।

8. यदि पीड़ित किसी लाइसेंसशुदा ठेकेदार का कर्मचारी है/हैं, तो -

(क) क्या पीड़ित के पास कोई इलेक्ट्रिक वर्कमैन परमिट, पर्यवेक्षक की योग्यता का प्रमाण पत्र था?

यदि हां, तो जारी करने की संख्या और तिथि तथा जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम दें;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसने पीड़ित(पीड़ितों) को कार्य सौंपे थे।

9. क्या उत्पादन कंपनी/लाइसेंसधारी के सिस्टम में दुर्घटना की स्थिति में काम करने का परमिट (पीटीडब्ल्यू) लिया गया था?

10. (क) चोटों की प्रकृति और सीमा का पूरी तरह से वर्णन करें, उदाहरण के लिए, शरीर के किसी हिस्से की घातक/अक्षमता (स्थायी या अस्थायी) या जलन या अन्य चोटें।

(ख) घातक दुर्घटना के मामले में, क्या पोस्टमार्टम किया गया था?

11. दुर्घटना के विस्तृत कारण।

(इस फॉर्म के साथ संलग्न एक अलग शीट में दिया जाए)।

12. दुर्घटना घटित होने के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा उपस्थिति आदि के संबंध में की गई कार्यवाही (ब्यौरा दें)।

13. क्या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना दी गई है (यदि हां, तो विवरण दें)।

14. दुर्घटना के संबंध में यथासंभव साक्ष्यों को संरक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

15. मारे गए या घायल व्यक्ति(यों) की सहायता करने वाले, पर्यवेक्षण करने वाले व्यक्ति(यों) का नाम और पदनाम।

16. इस दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों को कौन से सुरक्षा उपकरण दिए गए थे या उनके द्वारा उपयोग किया गया था (जैसे रबर के दस्ताने, रबर मैट, सुरक्षा बेल्ट और सीढ़ी आदि)?

17. क्या अलग-अलग स्विच और अन्य सेक्शनलाइजिंग उपकरणों को उसी पर काम करने के लिए सेक्शन को निष्क्रिय करने के लिए नियोजित किया गया था? क्या कार्य स्थल पर कार्य अनुभाग की अर्थिंग की गई थी?

18. क्या लाइव लाइनों पर कार्य अधिकृत व्यक्ति(यों) द्वारा किया गया था? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति(यों) का नाम और पदनाम दिया जा सकता है।

19. क्या विद्युत दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों को कृत्रिम पुनर्जीवन उपचार दिया गया था? यदि हां, तो इसे छोड़े जाने से पहले इसे कब तक जारी रखा गया था?

20. दुर्घटना में उपस्थित और गवाह रहे व्यक्तियों के नाम और पदनाम।

कोई अन्य जानकारी/टिप्पणी।

स्थान:

समय:

तिथि:

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति का पता

अनुलग्नक II

क्षतिपति के भुगतान के लिए दावा फॉर्म

1. दुर्घटना की तिथि एवं समय:

2. दुर्घटना का स्थान:

3. दुर्घटना का विवरण:

4. मृतक या घायल व्यक्ति(यों) का विवरण:

नाम:

आयु:

लिंग:

पता:

व्यवसाय:

5. मृत या घायल पशु(ओं) का विवरण

विवरण:

उम्र:

कीमत:

6. गैर-घातक दुर्घटनाओं के मामले में, अस्थायी/स्थायी/पूर्ण/आंशिक विकलांगता का विवरण, यदि कोई हो: (संबंधित मेडिकल बोर्ड या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. आश्रितों का विवरण:

8. पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं:

दावेदार(रों) के हस्ताक्षर

दावेदार(रों) के नाम
मृतक/घायलपशु से संबंध

संलग्नक:

मानवों के लिए: -

1. दावेदार की पहचान का प्रमाण

2. एफआईआर की कॉपी

3. यदि पोस्टमार्टम किया गया हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी

4. यदि जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट/पंचनामे की कॉपी
5. मृत्यु प्रमाण पत्र या घाव प्रमाण पत्र की कॉपी।
6. मृत या घायल व्यक्ति (दुर्घटना के बाद) की किसी भी फोटो की कॉपी, यदि उपलब्ध हो
7. मृतक के साथ संबंध का साक्ष्य
8. अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के खर्च का साक्ष्य।

पशुओं के लिए: -

1. दावेदार की पहचान का प्रमाण
2. एफआईआर की कॉपी, यदि दर्ज की गई है
3. यदि पोस्टमार्टम किया गया हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी
4. यदि जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट/पंचनामे की कॉपी
5. मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति, यदि जारी किया गया हो
6. मृत या घायल पशु (दुर्घटना के बाद) की किसी भी फोटो की कॉपी, यदि उपलब्ध हो
7. पशु(ओं) के स्वामित्व और कीमत का साक्ष्य।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 25th July 2024

Delhi Electricity Regulatory Commission (Compensation to Victims of Electrical Accidents) Regulations, 2024

No.F.17 (293)/Engg/DERC/ 2021-22/7147/745.—In exercise of powers conferred under section 57 read with section 181(2)(za) of The Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations: -

CHAPTER – I: Preliminary

1. Short Title, Commencement and Extent: -

- (1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Compensation to Victims of Electrical Accidents) Regulations, 2024.
- (2) These Regulations shall extend to the whole of National Capital Territory of Delhi.
- (3) These Regulations shall be applicable to all Generating Companies as well as transmission and distribution licensees in their respective licensed areas in the National Capital Territory of Delhi.
- (4) These Regulations shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions: -

In these Regulations, unless the context otherwise requires: -

- (1) '**Authority**' means the Central Electricity Authority (CEA) constituted under Section 70 of the Electricity Act, 2003;
- (2) '**Commission**' means the Delhi Electricity Regulatory Commission as referred to Section 82 of the Electricity Act, 2003;
- (3) '**Compensation**' means as provided for in Chapter III and IV of these Regulations;
- (4) '**Concerned Authority**' mean the officer(s) of the generating company or transmission licensee or distribution licensee not below the level of General Manager designated by generating company or transmission licensee or distribution licensee, as the case may be, for the purpose of these Regulations;

- (5) **'Dependents'** means persons who are entitled to succeed to the estate of the deceased as per the personal law by which the deceased was governed;
- (6) **'Electricity system'** means a system under the control of a generating company or licensee, as the case may be, having one or more--
 - a. generating stations; or
 - b. transmission lines; or
 - c. electric lines and sub-stations;
- (7) **'Electrical Accident'** means any accident caused directly or indirectly in a electrical system of the licensee or generating company resulting in loss of life /injury to human, animal or bird;
- (8) **'Injury'** means any physical harm done to a person, animal or a bird by an electrical accident;
- (9) **'Licensee'** means a person who has been granted a license under Section 14 of the Electricity Act 2003, including a deemed licensee under the said provision;
- (10) **'Poultry'** means domesticated birds kept by humans for the purpose of harvesting useful [animal products](#) such as [meat](#), [eggs](#) or [feathers](#);
- (11) **'Person with disability'** includes means a person sustaining injury from electrical accidents of not less than forty per cent of any disability as certified by a civil surgeon of the respective area;
- (12) **'Victim'** means the person affected for loss of human or animal or bird life or injury to person(s) or animals or birds in consequence to electrical accident;

3. Interpretations: -

- (1) These Regulations shall be interpreted and implemented in a manner not inconsistent with the provisions of the Act and the Rules and Regulations made there under:
- (2) Unless the context otherwise requires, words or expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Electricity Act, 2003 or 'Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017', the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), 2023 shall bear the same meaning as ascribed therein and in absence thereof, the meaning as commonly understood in the Electricity Supply Industry.

CHAPTER-II: Standards of Performance

4. Safety Standards: -

- (1) The Generating Companies and the licensees shall strictly comply with the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time and any further suitable measures that may be specified by the Authority under Section 53 (a) and (b), Section 73 (c) and Regulations notified by Authority under Section 177 (2) (b) of the Electricity Act, 2003.
- (2) The works of Generating Companies and the licensees shall be so installed, constructed, maintained or operated or used as to protect the public (including the persons engaged in the generation, transmission or distribution or trading), animals and birds from dangers of electric shock arising out of the generation, transmission or distribution of electricity.
- (3) The Generating Companies and the licensees shall comply with all the mandatory safety requirements and take all necessary measures to protect person(s), animals and birds from injury by reason of contact with, or proximity of, or by reason of the defective or dangerous condition of any appliance or apparatus used in the generation, transmission, distribution, supply of use of electricity.

5. Liability for compensation: -

- (1) The Generating Companies and the licensees, failing to meet the standards of performance specified in Regulation 4 above shall be liable to pay compensation as specified in Regulation 6 & 10 of these Regulations for loss of human or animal or poultry or injury to person(s) in consequence of an electrical accident.
- (2) The licensee and generating companies as the case may be shall, notwithstanding anything contained in any other law in force, be liable to pay compensation to such extent as specified in these Regulations, if an electrical accident occurs, resulting in loss of human life or animal or poultry or injury to person(s) unless the electrical accident primarily was not due to the failure of the licensee or generating companies, as the case may be, to meet

the standards of performance but was a direct or proximate result of intervention of some other extraneous reason or cause.

- (3) The compensation once determined shall be paid within the time limit specified in these Regulations to the beneficiary by the licensee or generating company, as the case may be.
- (4) The compensation paid to the victim/beneficiary shall not be pass through/recoverable in the Aggregate Revenue Requirement of the Utilities.
- (5) The compensation shall not be paid for injury or loss of life occurring out of irresponsible act on the part of the victim or his employer/ owner.
- (6) If the loss of human life is due to suicide or homicide or injury to a human life is due to an attempt to commit suicide or homicide, the licensee and generating companies as the case may be, shall not be liable to pay any compensation for the same under these Regulations.

CHAPTER – III: Compensation for Human Injury/ Loss Incidence

6. Quantum of compensation: -

- (1) The compensation payable for loss of human life as a result of an electrical accident shall be Rupees 7,50,000/- per person.
- (2) A sum of Rupees 5,00,000/-per person in case of more than 60% disability and Rupees 1,00,000/-per person in case of disability between 40% and 60% shall be paid as compensation for electric accidents. The amount of compensation will be payable on the certificate with regard to percentage of disability issued by the civil surgeon of the respective area.
- (3) In addition, a sum of maximum Rs. 25,000/-per person requiring hospitalization for more than a week and Rs. 10,000/-per person requiring hospitalization for less than a week shall be paid towards reimbursement of hospitalization charges subject to production of bills of Govt. Hospital/Hospital approved under CGHS, bills duly certified by the concerned hospitals.

7. Other rights and remedies unaffected: -

The right of any person to claim compensation as above shall not affect the right of any such person to recover the compensation payable under any other law for the time being in force.

8. Contracts/ Schemes/Insurance/ Unaffected: -

The right of any person to otherwise claim compensation under any contract or scheme providing for payment of compensation for death or personal injury or any sum payable under any policy of insurance shall remain unaffected by any payment of any sum made under these Regulations.

9. Periodical revision of the quantum of compensation: -

The Commission may, in consultation with the licensees, generating companies and the State Government and for reasons to be recorded in writing, enhance the limit of compensation specified above at any time, by a special order.

CHAPTER – IV: Compensation for Animal and Birds

10. Quantum of compensation: -

- (1) The compensation payable for loss of animal life as a result of an electrical accident shall be payable at the following rates: -

(a) Milch Animals-

- (i) **Rs 50,000/-** per Buffalo/Cow/Camel/Yak etc.
- (ii) **Rs. 5,000/-** per Sheep/Goat/Pig etc.

(b) Draught animals-

- (i) **Rs 25,000/-** Horse/ bull, etc.
- (ii) **Rs. 15,000/-** Calf/ Donkey/ Pony/ Mule, etc

The assistance may be restricted for the actual loss of economically productive animals and shall be subject to a ceiling of Rs. 3,00,000 Milch animals or Rs. 1,50,000 Draught animals per household irrespective of whether a household has lost a larger number of animals. The loss is to be certified by the Competent Authority designated by the State Government.

(c) **Poultry.** - Poultry @ 100/- per bird subject to a ceiling of assistance of Rs. 5,000/- per beneficiary household.

11. Other rights and remedies unaffected: -

The right of any person to claim compensation as above shall not affect the right of any such person to recover the compensation payable under any other law/contracts/scheme/insurance for the time being in force.

12. Periodical revision of the quantum of compensation: -

The Commission may, in consultation with the licensees, generating companies and the State Government and for reasons to be recorded in writing, enhance the limit of compensation specified above at any time, by a special order.

CHAPTER-V: Procedure

13. Occurrence report of an Electrical Accident: -

(1) In addition to an independent intimation of accident, the Junior Electrical Engineer or the Assistant Electrical Engineer or the Executive Engineer or their equivalent engineer of the licensee or generating company shall send a report under proper receipt through a special messenger to the Electrical Inspector of the concerned area and to the concerned authority of the licensee or generating company, as the case may be, forthwith on the occurrence of an electrical accident in the form set out in Form-A (as prescribed under the Intimation of Accidents (Forms and Time of Service of Notice) Rules, 2005 so as to reach the said Electrical Inspector and the concerned authority within twenty four hours of the electrical accident.

(Explanation: The concerned authority shall mean the officer(s) of the generating company or licensee not below the level of General Manager designated by generating company or transmission licensee or distribution licensee, as the case may be, for the purpose of these Regulations.)

The generating company or transmission licensee or distribution licensee shall, within 30 days of notification of this Regulation, designate, "Concerned Authority", an individual from its organization not below the level of General Manager as "Concerned Authority". Concerned authority, along with the name and other pertinent details (mobile number, email id etc) of the authority, shall be intimated to the Commission and published on the Licensee's website. Any subsequent changes in the "Concerned Authority" shall be promptly intimated to the Commission and updated on the Licensee's website.

- (2) A person who is affected by the occurrence of an electrical accident may inform the matter to the Generating companies or the Licensee and/or to the Electrical Inspector.
- (3) The details such as name, address, telephone number of the electrical inspector, details of the concerned Authority and the forms prescribed under these Regulations shall be uploaded by the Generating companies or the Licensee as the case may be on their website.

14. Enquiry Report and Final Orders: -

- (1) The Electrical Inspector shall, within 30 days from the receipt of a report of an electrical accident, submit a detailed report through Chief Electrical Inspector to the concerned authority of the generating company or transmission licensee or distribution licensee, after conducting a detailed enquiry of the said accident.
- (2) The concerned authority of the generating company or transmission licensee or distribution licensee may thereupon pass final orders determining the quantum of compensation payable and the persons entitled to the same, namely the dependents of the deceased person or the injured person or the owner of the animal, or the other bird as the case may be:

Provided that the concerned authority of the licensee shall, for evaluation of various disabilities and procedure for certification of disabilities, follow the State Government Guidelines on such matters:

Provided further that the concerned authority shall pass appropriate orders within 30 days of receipt of the enquiry report from the Electrical Inspector.

- (3) Notwithstanding above, the dependents of a person who died in an electrical accident or a person affected by the injury caused to himself or an animal, are at liberty to make a claim for compensation in the form set out in Annexure-II to these Regulations presented in person or sending by post to the concerned authority of the generating company or transmission licensee or distribution licensee at its registered address within 90 days of occurrence of the accident, who shall determine the compensation, if payable, in accordance with these Regulations.

- (4) The records of all such electrical accidents along with enquiry report shall be maintained by the generating company or transmission licensee or distribution licensee and shall be communicated to Commission and uploaded on its website.

15. Communication of the Final Order: -

The generating company or transmission licensee or distribution licensee shall communicate a copy of the final orders passed by it on any claim for compensation arising out of an electrical accident to the claimants or legal representative or the persons entitled within seven days of the passing of any such order. Copy of order shall also be communicated to the Commission.

16. Payment of Compensation: -

The compensation shall be paid to the persons entitled to receive the compensation amount within fifteen days from the date of the final orders of the "Concerned Authority". In case the generating company or licensee fails to provide Compensation within 15 days from the date the final orders, the generating company or licensee shall be liable to pay penalty at the rate of 10% per annum from the date of final order till receipt of payment by the Claimant / legal representative.

17. Dispute Resolution Procedure -

If the claimant or the legal representative entitled is aggrieved with regard to quantum of compensation awarded / order / direction of the concerned authority in accordance with these Regulations or non-redressal of his grievance, the claimant may file a complaint before the Consumer Grievances Redressal Forum in accordance with Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of the Forum and the Ombudsman for redressal of grievances of Electricity Consumers) Regulations, 2024 as amended from time to time. Any person, who is aggrieved by the order of the CGRF may prefer an appeal to Ombudsman for the redressal of grievances in accordance with Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of the Forum and the Ombudsman for redressal of grievances of Electricity Consumers) Regulations, 2024 as amended from time to time.

18. Information to the Commission: -

The generating company or transmission licensee or distribution licensee shall submit to the Commission by 15th of every succeeding month, the details of electrical accidents occurring within their respective jurisdiction and action taken thereon in accordance with these Regulations

19. Consequence of non-compliance: -

Non-compliance of these Regulations and contravention of any of the provisions of the statutes or the rules or regulations made thereunder concerning the subject matter of these Regulations shall be deemed to be non-compliance and contravention within the meaning of section 142 and 146 of the Electricity Act, 2003.

CHAPTER – VI: Miscellaneous

20. Residuary Provisions: -

- (1) The provisions of these Regulations shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law or rules or regulations or scheme or contract for the time being in force.
- (2) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- (3) Nothing in these Regulations shall debar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing deems it necessary or expedient.
- (4) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, debar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Electricity Act, 2003 for which no Regulations on the subject have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it deems fit.
- (5) Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003 and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters which the Commission has been empowered by these Regulations to specify or direct.
- (6) The Commission may, at any time add, modify, delete or amend any provision of these Regulations subject to the provision of the Electricity Act, 2003.

- (7) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Electricity Act, 2003, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.
- (8) The Commission shall have the power, for reasons to be recorded in writing and with notice to the affected parties, to dispense with the requirements of any of the clauses in these Regulations in a specific case or cases subject to such terms and conditions as may be specified.

RAJESH DANGI, Secy.

ANNEXURE I
OCCURRENCE REPORT

1. Date & Time of accident:
2. Place of accident:
3. Designation of the Officer-in-charge of the Generating Company or the Licensee in whose jurisdiction the accident occurred:
4. Nature & Details of the accident:
5. Details of Victim(s) (Loss of Life /Injury):
 - (a) Human
 - (b) Animal
6. Detailed causes leading to the accident: (Use a separate sheet and attach it to this form, if needed):
7. Details of the persons who witnessed the accident: (Name, designation, address etc.):
8. Action Taken:
9. Any other information:

Signature

Name & Designation

FORM A

Form for Reporting Electrical Accidents

1. Date and time of accident.
2. Place of accident.
(Village/Town, Tehsil/Thana, District and State).
3. System and voltage of supply (Whether Extra High Voltage (EHV)/High Voltage (HV)/Low Voltage (LV) Line, sub-station/generation station/consumer's installations/service lines/other installations).
4. Designation of the Officer-in-charge of the generating company/licensee in whose jurisdiction the accident occurred.
5. Name of owner/user of energy in whose premises the accident occurred.
6. Details of victim(s):

(a) Human

Sl. No.	Name	Father's Name	Sex of victim	Full Postal address	Approximate age	Fatal/non-fatal
1	2	3	4	5	6	7

(b) Animal

Sl. No.	Description of animal(s)	Number(s)	Name(s) of owner(s)	Address(es) of owner(s)	Fatal/non-fatal
1	2	3	4	5	6

7. In case the victim(s) is/are employee(s) of supplier: -

- (a) designation of such person(s);
- (b) brief description of the job undertaken, if any;
- (c) whether such person/persons was/were allowed to work on the job.
8. In case the victim(s) is/are employee(s) of a licensed contractor, -
- (a) did the victim(s) possess any electric workmen's permit(s), supervisor's certificate of competency?
If yes, give number and date of issue and the name of issuing authority;
- (b) name and designation of the person who assigned the duties of the victim(s).
9. In case of accident in the system of the generating company/licensee, was the permit to work (PTW) taken?
10. (a) Describe fully the nature and extent of injuries, e.g., fatal/disablement (permanent or temporary) of any portion of the body or burns or other injuries.
- (b) In case of fatal accident, was the post mortem performed?
11. Detailed causes leading to the accident.
(To be given in a separate sheet annexed to this form).
12. Action taken regarding first aid, medical attendance etc. immediately after the occurrence of the accident (give details).
13. Whether the District Magistrate and Police Station concerned have been informed of the accident (if so, give details).
14. Steps taken to preserve the evidence in connection with the accident to extent possible.
15. Name and designation(s) of the person(s) assisting, supervising the person(s) killed or injured.
16. What safety equipments were given to or used by the person(s) who met with this accident (e.g. rubber gloves, rubber mats, safety belts and ladders etc.)?
17. Whether isolating switches and other sectionalizing devices were employed to deaden the sections for working on the same? Whether working section was earthed at the site of work?
18. Whether the work on the live lines was undertaken by authorised person(s)? If so, the name and the designation of such person(s) may be given.
19. Whether artificial resuscitation treatment was given to the person(s) who met with the electric accident? If yes, how long was it continued before its abandonment?
20. Names and designations of persons present at, and witnessed, the accident.
21. Any other information/remarks.

Place:.....

Time:.....

Date:.....

Signature.....

Name.....

Designation.....

Address of the
person reporting.....

Annexure II

Claim form for Payment of Compensation

1. Date & Time of accident:
2. Place of accident:
3. Details of the accident:

4. Details of the deceased or Injured person(s):

Name (s):

Age:

Sex:

Address:

Occupation:

5. Details of the dead or injured animal(s)

Description:

Age:

Value:

6. In case of non-fatal accidents, details of temporary/permanent/total/partial disabilities suffered, if any: (Enclose a certificate issued by the relevant Medical Board or any competent Authority)

7. Details of the dependents:

8. Whether or not an FIR is registered by the Police:

Signature of the claimant(s)

Name of the claimant(s)

Relationship with the deceased/injured/animal

Enclosures:**For Humans: -**

1. Proof of identity of the claimant
2. A copy of the FIR
3. A copy of the post mortem report, if conducted
4. A copy of the inquest report/panchanama, if conducted
5. A copy of the Death certificate or wound certificate.
6. A copy of any photo of the deceased or injured person (after the accident), if available
7. Evidence of relationship with the deceased
8. Evidence of expenses of hospitalization and treatment.

For Animals: -

1. Proof of identity of the claimant
2. A copy of the FIR, if registered.
3. A copy of the post mortem report, if conducted
4. A copy of the inquest report/ panchanama, if conducted
5. A copy of the Death certificate, if issued
6. A copy of any photo of the deceased animal (after the accident), if available.
7. Evidence of ownership and value of the animal(s).